मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
::आदेश::

भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2013

क्रमांक एफ ए 3–28/2012/एक (1) राज्य शासन एतद् द्वारा *मध्य प्रदेश कार्यपालक शासन के कार्य नियम के भाग एक की कण्डिका 6 के तहत्* मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम 2008 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाईज पैकेज प्रदान करने हेतु निम्नानुसार "निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति" का गठन करता है । इस समिति को मंत्रि–परिषद् की शक्तियाँ प्राप्त होंगी ।

1	श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री सामान्य प्रशासन, नर्मदा घाटी विकास, विमानन, अन्य विभाग जो किसी मंत्री को आवंटित नहीं है	अध्यक्ष
2	श्री राघवजी मंत्री, वित्त, योजना, आर्थिक और सांख्यिकी, वाणिज्यिक कर	सदस्य
3	श्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और टेक्नालॉजी, सार्वजनिक उपक्रम, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण, कुटीर एवं ग्रामोद्योग	सदस्य

2/ उपरोक्त सदस्यों के अतिरिक्त संबंधित अन्य विभागों के मंत्री उनके विभाग से संबंधित बिन्दु विचाराधीन होने पर समिति के सदस्य होंगे । इस हेतु उन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया जा सकेगा ।

3/ मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन इस समिति के सचिव होंगे ।

4/ अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग इस समिति के सह–सचिव होंगे ।

5/ संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव भी समिति के कार्य

6/ निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद समिति के कार्य संपादन हेतु निर्धारित प्रक्रि
संलग्न परिशिष्ट – 'अ' अनुसार होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

पृ.क्रमांक एफ ए 3–28/2012/एक (1) भोपाल, दिनांक 31 जनवरी, 2013

प्रतिलिपि:–

1. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजभवन, भोपाल,
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, म.प्र. भोपाल,
3. निज सचिव, संबंधित मंत्री, म.प्र. भोपाल.
4. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, म.प्र.शासन, समस्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
6. सचिव (समन्वय) मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र.भोपाल,
7. आयुक्त, जनसंपर्क, बाणगंगा, भोपाल ।
8. सहायक सचालक, जनसंपर्क म.प्र. मंत्रालय, भोपाल ।
9. अवर सचिव, (स्था) मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन की ओर सामान्य प्रशासन की बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।

उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग

कमांक एफ 16–10/2012/बी–ग्यारह भोपाल, दिनांक /02/2013

प्रतिलिपि :–

1. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश
2. म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि/म.प्र. स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमि., भोपाल।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

R.ltr.ms.

परिशिष्ट—अ

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विषय– मध्य प्रदेश निवेश संवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 3 (1) के अन्तर्गत् निवेश प्रस्तावों पर कस्टमाईज पैकेज प्रदान करने हेतु मंत्रि–परिषद् समिति के कार्य संपादन हेतु प्रकिया का निर्धारण ।

मध्य प्रदेश निवेश सवर्धन अधिनियम, 2008 की धारा 20 (1) के यह प्रावधान है कि "राज्य सरकार इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए पूर्व प्रकाशन के अध्यधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा नियम बना सकेगी।" उक्त प्रावधान अन्तर्गत् मंत्रि–परिषद् समिति के कार्य संपादन हेतु निम्नानुसार प्रकिया का निर्धारण प्रस्तावित है :–

1. मेगा औद्योगिक उपक्रम के परिप्रेक्ष्य में 'कस्टमाइज्ड पैकेज' *जिसके अन्तर्गत् भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी सम्मिलित होंगे,* के लिये निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति हेतु नामांकित नोडल एजेंसी "मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि." (ट्राइफेक) में निर्धारित प्रक्रिया एवं आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर 'ट्राइफेक' द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संक्षेपिका तैयार की जावेगी।

2. *अन्य सेक्टर से संबंधित मेगा निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में कस्टमाईज पैकेज जिसके अन्तर्गत् भूमि आवंटन से संबंधित प्रकरण भी सम्मिलित होंगे, के लिए संबंधित विभाग में निर्धारित प्रकिया एवं आवेदन शुल्क के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर संबंधित विभाग द्वारा प्रस्ताव का परीक्षण कर समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु संक्षेपिका तैयार की जावेगी ।*

3. मेगा निवेश परियोजना के परिप्रेक्ष्य में नोडल एजेंसी(ट्राइफेक)/*संबंधित विभाग* के समक्ष प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन के साथ सामान्यतः निम्नानुसार सहपत्र प्रस्तुत किये जावेंगे –

- निर्धारित आवेदन शुल्क
- आवेदक कम्पनी का 'प्रोफाइल'
- [illegible]

* निर्धारित प्रपत्र में 'जनरल प्रोजेक्ट इन्फार्मेशन'
* कम्पनी की विगत् 3 वर्षों की 'ऑडिटेड बैलेंस शीट'
* आवेदक कम्पनी का 'मेमोरेण्ड एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन'
* परियोजना हेतु वांछित 'कस्टमाइज्ड पैकेज' से राज्य शासन को होने वाली वित्तीय आलिप्ति का परिमाण
* परियोजना की स्थापना से राज्य शासन को होने वाले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लाभ का विवरण
* *आवश्यकतानुसार* प्रस्तावित परियोजना के परिप्रेक्ष्य में इण्डस्ट्रियल एंटरप्रिन्योरशिप मेमोरेण्डम पार्ट–1'
* अन्य वांछित सहपत्र जो नोडल एजेंसी/*संबंधित विभाग* द्वारा आवश्यकतानुसार मांगे जावे।

4. ट्राइफेक द्वारा तैयार संक्षेपिका पर अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा मंत्री, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित विभागों से अभिमत प्राप्त करने हेतु परिचालित किया जावेगा।

5. *अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार संक्षेपिका पर विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा विभागीय मंत्री से प्रशासकीय अनुमोदन प्राप्त कर विभागों से अभिमत प्राप्त करने हेतु परिचालित किया जावेगा।*

6. संबंधित विभागों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे समिति के समक्ष प्रस्तुत होने वाली संक्षेपिकाओं में 15 दिवस के अंदर अभिमत उपलब्ध करावें। बैठक दिनांक से 7 दिवस पूर्व तक विभागों से प्राप्त अभिमत एवं उस पर आवश्यकतानुसार विभागीय टीप को संक्षेपिका में सम्मिलित किया जावेगा, इसके पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिमत को संक्षेपिका में परिशिष्ट के रूप में संलग्न किया जा सकेगा।

7. उस स्थिति में जहां प्रशासकीय विभाग के प्रस्ताव पर वित्त, विधि या किसी अन्य विभाग (विभागों) के मतभेद हों, वहां असहमत होने वाले विभागों द्वारा बतायी गई स्थिति का स्पष्ट रूप से कथन करते हुए मतभेद के मुद्दे संक्षेपिका में स्पष्टतः दर्शित किये जाने चाहिए। संक्षेपिका में किसी मामले पर निष्पक्ष उपसंहार अंतर्विष्ट रहेगा, उसके अंतिम पैरा में वे विचारणीय मुद्दे रहेंगे, जिन पर समिति का निर्णय अपेक्षित है।

अन्य सेक्टर से संबंधित निवेश परियोजनाओं के परिपेक्ष्य में संबंधित विभाग द्वारा तैयार की गई संक्षेपिका (अन्य विभागों से प्राप्त अभिमत सहित) को विभागीय अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु इस परिपेक्ष्य में नामांकित नोडल एजेंसी म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लिमि.(ट्राइफेक) को प्रेषित किया जावेगा ।

9. संक्षेपिकाएं समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के पूर्व समिति के सचिव द्वारा कार्यसूची पर मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जावेगा। किसी भी कार्यसूची को, चाहे वह कितनी भी आवश्यक हो, मुख्यमंत्री की मंजूरी की प्रत्याशा में समिति की बैठक में सम्मिलित नहीं किया जावेगा ।

10. अत्याधिक आवश्यक प्रकरण के अतिरिक्त कोई भी प्रकरण तब तक समिति की बैठक की कार्यसूची में सम्मिलित नहीं किया जावेगा, जब तक की संबंधित समस्त अभिलेख बैठक होने के कम से कम 2 दिवस पूर्व सभी सदस्यों को उपलब्ध नहीं कराये गये हों। तथापि मुख्यमंत्री आवश्यकतानुसार प्रकरण को कार्यसूची में सम्मिलित करने के निर्देश दे सकेंगे।

11. मुख्यमंत्री से कार्यसूची के अनुमोदन उपरांत समिति का सचिव/सह–सचिव समिति के सदस्यों तथा आवश्यकतानुसार विशेष आमंत्रितों को बैठक की कार्यसूची प्रेषित करेगा।

12. समिति हेतु नामांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य संबंधित विभागों के मंत्री उनके विभाग से संबंधित बिन्दु विचाराधीन होने पर समिति की बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। कार्य संपादन में सहायता की दृष्टि से संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव भी समिति की बैठक में उपस्थित होंगे।

13. समिति का कोई सदस्य यदि प्रवास पर हो तो कार्य सूची संबंधित विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव को भेजी जावेगी। यदि वो यह समझते हैं कि प्रकरण पर चर्चा करने के लिये मंत्री की वापसी की प्रतीक्षा अपेक्षित है तो वह समिति के सचिव से अनुरोध करेंगे कि वह मंत्री की वापसी तक मामले पर चर्चा स्थगित रखने के संबंध में मुख्यमंत्री से आदेश प्राप्त करें।

14. समिति के स्थाई सदस्य बैठक में व्यक्तिशः उपस्थित होंगे और उनकी अनुपस्थिति में वह किसी अन्य को प्राधिकृत नहीं कर सकेंगे।

15. "निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति" द्वारा लिये गये विनिश्चय समस्त सरकारी विभागों या प्राधिकारियों पर बाध्यकारी होंगे एवं विभाग या प्राधिकारी अपेक्षित समाशोधन तथा अनुज्ञा निश्चित समय–सीमा के भीतर जारी करेंगे। "निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति" द्वारा लिये गये निर्णयों की पुष्टि तथा उसके पालन हेतु अन्य किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी ।

(क) **"निवेश संवर्धन पर मंत्रि–परिषद् समिति"** का सचिव समिति की बैठक में लिये गये निर्णयों का कार्य विवरण प्रत्येक बैठक के पश्चात् तैयार करेगा। उन सदस्यों/विशेष आमंत्रितों के नाम जो बैठक में उपस्थित थे, का कार्य विवरण में समावेश किया जावेगा।

ख) कार्य विवरण का प्रारूप समिति के सचिव के माध्यम से मुख्यमंत्री के पास अनुमोदन के लिये प्रेषित किया जावेगा। अनुमोदन के पश्चात् उसकी प्रति प्रत्येक सदस्य/विशेष आमंत्रित सदस्य को उपलब्ध कराई जावेगी।

ग) यदि निर्णयों में कोई संशोधन सुझाये जाते हैं तथा मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत किये जाते हैं, तो समिति के सचिव/सह–सचिव एक शुद्धि पत्र जारी करेंगे एवं आवश्यकतानुसार कार्य विवरण की पुनरीक्षित प्रति जारी करेंगे।

घ) कार्य विवरण की एक प्रति राज्यपाल के पास भी प्रेषित की जावेगी।

ङ) कार्य विवरण जारी होने के पश्चात् वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा सुविधा स्वीकृति आदेश जारी किया जावेगा।

(बी.आर.विश्वकर्मा)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग